संo– /IV(2)-श0वि0-2014-09(सा0)13टी0सी0

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 4-मार्च, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक-1 में उल्लिखित नगर निकायों को अवस्थापना विकास निधि से उक्त संलग्नक में उल्लिखित कार्यों हेतु कुल ₹ 417.44 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए **₹ 239.44 लाख (रूपये दो करोड़ उनचालीस लाख चवालिस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि **₹ 239.44 लाख (रूपये दो करोड़ उनचालीस लाख चवालिस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बनिधत नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरुप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
6. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
7. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
8. उक्त धनराशि का दिनांक 31-3-2014 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
9. उपरोक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके साथ अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

2/-...

11. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 189.16 लाख, के अनुदान सं0–30 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'42 अन्य व्यय के नामे ₹ 43.10 लाख, तथा के अनुदान सं0–31 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 7.18 लाख डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 733/XXVII(2)/2014, दिनांक– 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S1403130097, S1403300095 एवं S1403310099 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0– 210 (1)/IV(2)-श0वि0–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः 210 /IV(2)-श0वि0–2014–09(सा0)13टी0सी0, दिनांक 04 मार्च, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय का नाम	कार्य का विवरण	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	स्वीकृत धनराशि
1.	नगरपालिका परिषद, गोपेश्वर	विवाह स्थल निर्माण कार्य।	22.25	22.25
2.	नगरपालिका परिषद, मसूरी	सुमित्रा भवन से मैकनिक पम्प की ओर क्षतिग्रस्त नाला निर्माण कार्य।	31.32	31.32
3.		बुद्धा मन्दिर से खनाल्टी जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य।	31.23	31.23
4.	नगर पंचायत, लण्ढौरा	नाला निर्माण कार्य।	38.59	25.59
5.	नगर पंचायत, चम्बा	पार्किंग निर्माण कार्य।	32.77	20.77
6	नगर पंचायत, बड़कोट	नाले का सुरक्षात्मक कार्य।	15.06	15.06
7.	नगरपालिका परिषद, उत्तरकाशी	रामलीला मंच में सौन्दर्यीकरण, फर्श एवं पार्क के निर्माण कार्य	5.27	5.27
8.		वार्ड नं0–8 में नौटियाल टी0 स्टॉल से केदारघाट तक नाली निर्माण।	6.91	6.91
9.	नगर पंचायत, गौचर	पुलिस चौकी के समीप पार्किंग निर्माण।	15.00	10.00
10.	नगर पंचायत, डीडीहाट	विभिन्न वार्डों में नाला निर्माण/सुधार कार्य।	171.29	40.29
11.	नगरपालिका परिषद, खटीमा	खटीमा में संजय रेलवे पार्क का सौन्दर्यीकरण।	47.75	30.75
योग–			417.44	239.44

(रूपये दो करोड़ उनचालीस लाख चवालिस हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।